उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-3

संख्या-8/794/38-3-2015-15/2015

लखनऊ: दिनांक- 30 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 08 फरवरी, 2015 को नीति आयोग के शासी परिषद की सम्पन्न बैठक में दो टास्क फोर्स गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में नीति आयोग द्वारा गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित टास्ट फोर्स गठित किये जाने के आदेश जारी करते हुए राज्य स्तर पर भी टास्क फोर्स गठित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। नीति आयोग, भारत सरकार में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में राज्य में गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन किया जाता है:-

1	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
8	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सदस्य-सचिव
9	सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	सदस्य
10	सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
11	सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	सदस्य
12	निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0	सदस्य
13	अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद (प्रभारी यू.आई.डी.ए.आई.)	सदस्य

2- उपरोक्त टास्क फोर्स के कार्य निम्नवत् होगे:-

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा केन्द्रीय सरकार में गठित टास्क फोर्स के साथ सहयोग एवं समन्वय।
2. गरीबी की सर्वमान्य परिभाषा को अभिज्ञानित करना।
3. गरीबी उन्मूलन के संदर्भ रोड मैप तैयार करना।
4. गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित चालू योजनाओं की संवीक्षा तथा उनमें आवश्यक परिवर्तन से सम्बन्धित सुझाव।
5. ऐसे सफल प्रयोगों एवं कार्यक्रमों को चिन्हित करना जिनका सभी सम्बन्धित विभाग उपयोग कर सकें।
6. अन्य उपाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- सामान्य निर्देश:-

1. टास्क फोर्स के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी महानुभाव को विशेष आमंत्री के रूप में अनुमेलित किया जा सकता है।
2. टास्क फोर्स द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 मई, 2015 तक तैयार कर ली जायेगी, ताकि उच्च स्तर पर विचार विमर्श कर राज्य का मत स्थिर करते हुए नीति आयोग, भारत सरकार को नियम तिथि तक उपलब्ध करायी जा सके।

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव

संख्या-8/794/38-3-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग।
6. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग को इस आशय से निवेदित कि भारत सरकार की अपेक्षानुसार सदस्य-सचिव के रूप में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
10. सचिव, नगर विकास विभाग।
11. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग।
12. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
13. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0।
14. अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद (प्रभारी यू.आईडी.ए.आई.)
15. ग्राम्य विकास अनुभाग-6
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in